

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

क्र. नं 74/15 तारीख रजु 26-8-15

उगवान - ज्योति कवर बनाम अधिराजसिंह व
 पदमपुरा
 दावाबाबत घोषणा खोतेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री सुब्रह्मचन्द्र शर्मा A व 0 ने दावा बाबत घोषणा खोतेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। शपथपत्र व जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्ट्र कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन से तलब कर पत्रावली दिनांक 28-9-15 को पेश हो।


2239-46
 26-8-15

उप जिला कलक्टर
 टोडाभीम (करोली)

28/9/15 वादी वकील उप 0 प्रतिवादी नं. 7, 8 बाबजूद खूफा उप 0 नहीं हैं उनके खिलाफ एक पक्षीप कार्यवाही की जाती थी प्रतिवादी नं. 1 ता. 6 के सम्मन पट्टामाली रिपोर्ट है कि प्रतिवादी गण जपपु रहते थे भाई की तामील कर्ष बिन्दु कोई उपस्थित नहीं थे यदि प्रतिवादी गण जपपु में रहना बताया है इसलिए तामील विधिगत नहीं हुई थी वादी वकील जपपु या अन्य सही पते पर रजि 159 सम्मन तलवाना पेश करे। वास्ते तलबी दि 21-11-15 को पेश हो।

2-11-15 वादी वकील उप 0 प्रतिवादी नं. 1 ता. 6 के रजि. A व सम्मन तलवाना पेश करे। वास्ते तलबी दि 15-12-15 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभी

दिनांक	फर्द अहकाम
24/3/17	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित नहीं। कड़ीवार आमान टि लाई गयी। फिर भी कोई उपस्थित नहीं। इ सालिह अदम हाजरी अदम पैरवी में शपथकारित क्रिया जाग है। फैसल शुगर होकर नम्बर से कम कर दाखिल दफतर है।</p>
	<p> उप जिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)</p>